

## विज्ञप्ति

सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक— 437/8-2/4/रा0ग्रा0रो0गा0यो0/2009-10/दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 से समस्त जनपदों में एक से तीन लोकपालों की नियुक्ति शासन स्तर पर विचाराधीन होने के फलस्वरूप जनपद स्तर से तीन नामों के पैनल का नियमानुसार चयन कर नाम शासन को भेजे जाने के निर्देश प्रसारित हुए हैं, के क्रम में सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि शासन से निर्धारित निम्न अर्हता के व्यक्ति जो लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हो, अपना आवेदन-पत्र मय पूर्ण विवरण के दिनांक 06.11.2009 तक पंजीकृत डाक से मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल स्थित विकास भवन भीमताल के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन-पत्रों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन जनपद स्तर पर करते हुए शासन को तीन नामों की सूची प्रेषित की जायेगी, जिनका अन्तिम चयन शासन स्तर से किया जायेगा। अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के साथ अपना पूर्ण बायोडाटा आदि विवरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी तथा इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं।

लोकपाल हेतु मुख्य बिन्दु संलग्न है :-

ह0/-  
जिलाधिकारी,  
नैनीताल।

## लोकपाल हेतु मुख्य बिन्दु

### नियुक्ति

- राज्य सरकार लोकपाल की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति के आधार पर करेगी।
- चयन समिति का निर्माण राज्य के मुख्य सचिव, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित प्रतिष्ठित सभ्य समाज के व्यक्ति तथा राज्य सरकार में विभागीय सचिव जो सदस्य-संयोजक के रूप में एन0आर0ई0जी0ए0 का कार्य कर रहे हैं, के द्वारा किया जायेगा।

### योग्यता

- व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्षों का लोक प्रशासन, विधि, शिक्षा, समाज सेवा अथवा प्रबन्धन के कार्यों का अनुभव होना चाहिए।
- आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राजनीतिक पार्टी का कोई भी सदस्य योग्य नहीं होगा।
- वह षारीरिक रूप से सक्रिय होना चाहिए।
- 30 दिनों के भीतर टिप्पणी प्राप्त करने हेतु पैनल का पूर्व प्रकाशन राज्य की सरकारी वेबसाइट में होना चाहिए।
- चयन समिति द्वारा आपत्तियों का निस्तारण 30 दिनों के भीतर होना चाहिए।
- नामरहित टिप्पणियों एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

### कार्यकाल एवं पृथकत्व

- कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
- एक वर्ष हेतु कार्यकाल कार्य निष्पादन के आधार पर अथवा 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।
- पुनर्नियुक्ति नहीं होगी।
- राज्य सरकार लोकपाल को असंतोषजनक कार्य निष्पादन तथा चयन समिति की संस्तुति पर हटा सकती है।

### स्वत्व अधिकार

- लोकपाल राज्य तथा केन्द्र सरकार से स्वतन्त्र होगा।

## पारिश्रमिक

- प्रति बैठक रू0 500 /— का मानदेय।

## कार्यालय स्थान

- जनपद मुख्यालय
- प्रति जनपद 3 लोकपाल तक

## कार्यालय सहयोग

- डी0आर0डी0ए0 तकनीकी तथा प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी।

## मूल्यांकन

- चयन समिति प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

## लोकपाल के अधिकार

- दोषी पार्टियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के आदेश देना।
- सुधारात्मक,अनुशासनात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही सीधे ही सम्पन्न करना।
- किसी भी परिस्थिति के वृत्तान्त में जो किसी भी शिकायत का कारण हो प्रारम्भिक कार्यवाही करना।

## शिकायतों का निवारण

- लोकपाल उपस्थिति हेतु एन0आर0ई0जी0ए0 प्राधिकारी को सूचना जारी करेगा।
- तथ्यों के एक बार प्रस्तुत होने पर उपयुक्त दिशा—निर्देश देकर शिकायत का निवारण किया जायेगा।
- निर्णय प्रमाणों एवं राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के एन0आर0ई0जी0 अधिनियम के अनुपालन के आधार पर होना चाहिए।
- निर्णय की प्रति पार्टी को दी जायेगी।
- मिथ्यापूर्ण, द्वेषी एवं नाराजगी सम्बन्धी शिकायत होने पर मूल्य अधिरोपित किया जा सकता है (cost may be imposed)
- मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव तथा एन0आर0ई0जी0ए0 के प्रभारी सचिव को प्रेषित की जानी चाहिए।

- भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल विषयवस्तु को आपराधिक अभियोग लेने के लिए अग्रसारित करेगा।
- पार्टी होने की दशा में कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो सकते हैं।
- आवश्यक होने पर कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक मात्र तभी उपस्थित होंगे जब कार्यवाही की जा रही हो।
- समस्त केस जो तथ्य अथवा नियम के जटिल प्रश्नों में शामिल नहीं होंगे, 15 दिनों के भीतर निवारण हो जाना चाहिए।
- अन्य केसों का 45 दिनों के भीतर निवारण किया जा सकता है।

### **आग्रह/अनुरोध/निवेदन**

- लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आवेदन/अपील/पुनर्विलोकन आवेदन संधार्य नहीं होगा।
- लोकपाल का निर्णय अन्तिम होगा अर्थात् इसके विरुद्ध मात्र माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्चतम न्यायालय में समादेश याचिका योजित की जा सकती है। अन्य विधिक प्रतिकार न तो संज्ञेय और न ही संधार्य होगा।